

::प्रमाण-पत्र::

अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के पत्रांक 3274/23सी0 दिनांक 15.11.2014 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कैन्थोली से नैखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.050हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.420हे0 सिविल भूमि, कुल रक्वा 1.47हे0 वन एवं सिविल भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव निम्नप्रकार प्रस्तुत किया गया है:-
आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

प्रभाग का नाम	कम्पार्टमेन्ट सं०	क्षेत्रफल		कुल क्षेत्रफल (हे०मे०)	टिप्पणी
		लम्बाई	चौड़ाई		
टिहरी वन प्रभाग	खण्डोगी-6	1500मी०	07	1.050	—

सिविल सोयम भूमि का विवरण:-

तहसील	ग्राम	पट्टी	खाता सं०	खसरा सं०	कुल रक्बा (हे०में)	याचित रक्बा (हे०में)
01	02	03	04	05	06	07
जाखणीधार	घोघस	खास	10	1237	0.204	0.043
				1232	1.071	0.357
				1243	0.501	0.020
योग						0.420

इस कार्यालय के आदेश संख्या-81/5-27 दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत तहसील जाखणीधार के अन्तर्गत ग्राम कैन्थोली की अकृषि भूमि का मूल्य रु 55,00,000.00 (पच्चपन लाख रुपये मात्र) प्रति हे० निर्धारित है। इस प्रकार जाखणीधार की प्रस्तावित 1.050हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.420हे० सिविल भूमि, कुल रक्वा 0.875हे० भूमि का मूल्य 80,85,000.00 (अस्सी लाख पिच्चासी हजार रुपये मात्र)आंकलित किया जाता है।

प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है।

क्रमांक- 3951 XXVI-07

दिनांक- 18/11/14

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल